ग्रामीण महिलाओं के लिए पहल

चरणजीत सिंह

दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से महिलाओं को देश भर में स्व-सहायता समूहों और ग्रामीण संगठनों से भी जोड़ा जा रहा है। मैं महिला स्व-सहायता समूहों की बहनों को आत्मनिर्भर भारत अभियान का चैंपियन मानता हूं। ये स्व-सहायता समूह वास्तव में राष्ट्रीय सहायता समूह हैं। इसलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दी जाने वाली सहायता में पिछले सात वर्षों में, 2014 से पहले के पांच वर्षों की तुलना में लगभग 13 गुना वृद्धि हुई है। जहां पहले हर स्व-सहायता समूह को बिना गारंटी के 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलता था, अब इस सीमा को भी दोगुना कर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार के लिए कई आजीविका को बढ़ावा देकर ग्रामीण गरीबी को खत्म करना है, जो एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो रहा है। 2011 में शुरू किए गए दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य 2023-24 तक 9-10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंच बनाना है। मिशन सामुदायिक संस्थानों और इनके सदस्यों को इस तरह से दीर्घकालिक सहायता प्रदान करता है कि वे अपनी आय और जीवन-स्तर में सुधार करते हुए अपनी आजीविका में विविधता लाते हैं।

प्रमुख सिद्धांत

मिशन का मानना है कि गरीब ग्रामीण महिलाओं को अपने संस्थानों में संगठित करना, आजीविका गतिविधियों को सहायता प्रदान करना और ऋण उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना उनके जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकता है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है: -

1. गरीबों में गरीबी से बाहर आने की तीव्र इच्छा होती है और उनमें जन्मजात क्षमताएं भी होती हैं। ऐसे लोगों को आवाज देने के लिए सामाजिक लामबंदी और गरीबों की मजबूत संस्थाओं का निर्माण महत्वपूर्ण है;
2. ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए दीर्घकालिक और निरंतर वित्तीय और आजीविका सहायता की आवश्यकता है;
3. गरीबों का क्षमता निर्माण और पोषण जब स्वयं गरीबों द्वारा किया जाता है तब यह सबसे प्रभावी और संधारणीय होता है और
4. गरीबों के सतत विकास के लिए कृषि के साथ-साथ गैर-कृषि क्षेत्रों में कई आजीविकाओं-संपत्ति के साथ-साथ कौशल आधारित आजीविका को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के घटक

संस्थान निर्माण और क्षमता निर्माण: सामुदायिक संस्थानों को बढ़ावा देना और उनका क्षमता निर्माण दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य घटकों में से एक है। मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला सदस्य को स्व-सहायता समूह में शामिल करना है। प्रत्येक समूह में 10 से 15 सदस्य होते हैं। इन समूहों को ग्राम स्तर पर ग्राम संगठनों में संघटित किया जाता है। इसके अलावा, 10 से 15 स्वैच्छिक संगठनों को क्लस्टर

लेखक ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव (ग्रामीण आजीविका) हैं। ईमेल: js-skills@ddugky.gov.in

सिमडेगा, झारखंड से बैंकिंग संवाददाता

स्तरीय फोरम (सीएलएफ) में शामिल किया गया है। ये सामुदायिक संस्थाएं वित्तीय, तकनीकी और विपणन संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए एक सामूहिक मंच प्रदान करती हैं। इन संस्थानों को निरंतर तथा गहन क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मिशन इन सामुदायिक संस्थानों को रिवॉल्विंग फंड (आरएफ) और सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) आदि के रूप में उनके वित्तीय आधार को मजबूत करने और अतिरिक्त धन का लाभ उठाने में मदद करने के लिए धन प्रदान करता है। मिशन ने अब तक सामुदायिक निवेश सहायता (परिक्रामी निधि, सामुदायिक निवेश कोष) के रूप में कुल मिलाकर 16,189 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को वर्तमान में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) के 6,782 ब्लॉक और 706 जिलों में लागू किया जा रहा है। मिशन ने अब तक 8.09 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 73.93 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल किया है। इन स्व-सहायता समूहों को 4.28 लाख स्वैच्छिक संगठनों और 32,899 क्लस्टर स्तरीय फोरम में संघटित किया गया है। यह पूरे देश में कार्यक्रम की व्यापक पहुंच को दर्शाता है।

क्षमता निर्माण के एक अभिन्न दृष्टिकोण के रूप में, मिशन समुदाय के व्यक्तियों के प्रशिक्षण को सुनिश्चित कर रहा है, ताकि वे स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को 24X7 सहायता प्रदान करें। तदनुसार, मिशन ने 3.5 लाख से अधिक सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को विभिन्न क्षेत्रों - बैंकिंग, कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन और वन क्षेत्र आदि में प्रशिक्षित और तैनात किया है।

यह वित्तीय समावेशन के मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर काम करता है। इसके लिए मांग पक्ष पर गरीबों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर तथा स्व-सहायता समूहों और उनके परिसंघों को उत्प्रेरक पूंजी प्रदान करके और आपूर्ति पक्ष पर, वित्तीय क्षेत्र के साथ समन्वय करके, डिजिटल वित्तीय प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके, बिजनेस करेस्पोंडेंट तथा सामुदायिक सुविधाकर्ताओं के साथ वित्तीय समावेशन से किया जाता है।

वित्तीय समावेशन: दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गरीबों को सस्ती लागत पर विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। यह वित्तीय समावेशन के मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर काम करता है। इसके लिए मांग पक्ष पर गरीबों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर तथा स्व-सहायता समूहों और उनके परिसंघों को उत्प्रेरक पूंजी प्रदान करके और आपूर्ति पक्ष पर, वित्तीय क्षेत्र के साथ समन्वय करके, डिजिटल वित्तीय प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके, बिजनेस करेस्पोंडेंट तथा सामुदायिक सुविधाकर्ताओं के साथ वित्तीय समावेशन से किया जाता है। वित्तीय समावेशन को मुख्य रूप से स्व-सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने और

ऋण सहित सभी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाया जा रहा है।

स्व-सहायता समूह-बैंक क्रेडिट लिंकेज के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2021-22 में 32 लाख से अधिक समूहों को 82,092 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया गया है। संचयी रूप से, स्व-सहायता समूहों को 21 दिसंबर तक दी गई ऋण राशि 4.61 लाख करोड़ रुपये है। इस विशाल क्रेडिट लिंकेज के अलावा, स्व-सहायता समूहों के कामकाज की शक्ति गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के अविश्वसनीय आंकड़े में परिलक्षित होती है, जो 2.34 प्रतिशत है। इसके अलावा, इसे और कम करने के लिए स्व-सहायता समूहों द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इनके शानदार प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने प्रत्येक समूह के लिए गारंटी मुक्त ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को अंतिम छोर तक प्रदान करने में भी सहायक रहा है, जहां लोगों की बैंकिंग सेवाओं तक अधिक पहुंच नहीं है। इसे डिजिटल वित्त को बढ़ावा देने और स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को बिजनेस करेस्पोंडेंट सखी के रूप में तैनात करने के माध्यम से (बैंकों और सामान्य सेवा केंद्रों की सहायता से) सुगम बनाया जा रहा है।

वित्तीय समावेशन: दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को अंतिम छोर तक प्रदान करने में भी सहायक रहा है, जहां लोगों की बैंकिंग सेवाओं तक अधिक पहुंच नहीं है। इसे डिजिटल वित्त को बढ़ावा देने और स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को बिजनेस करेस्पोंडेंट सखी के रूप में तैनात करने के माध्यम से (बैंकों और सामान्य सेवा केंद्रों की सहायता से) सुगम बनाया जा रहा है। वर्तमान में, स्व-सहायता समूहों की 68000 से अधिक महिला सदस्यों को बीसी सखियों के रूप में पहचान की गई है और उन्हें प्रशिक्षित तथा तैनात किया गया है। बिजनेस करेस्पोंडेंट -सखियां, जमा, ऋण, प्रेषण, पेंशन और छात्रवृत्ति के वितरण, मनरेगा मजदूरी और बीमा तथा पेंशन योजनाओं के तहत नामांकन सहित सभी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। इन सखियों ने वित्त वर्ष 21-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक 10,001 करोड़ रुपये के 215 लाख लेनदेन किए हैं।। वर्तमान महामारी के दौरान वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में उनके योगदान की व्यापक रूप से सराहना की गई है।

ब्याज सबवेंशन

महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण की प्रभावी लागत को कम करने के लिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ब्याज सबवेंशन और अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है। सभी महिला स्व-सहायता समूह जिनके सदस्य दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लक्ष्य समूह से हैं, वे ब्याज दर और 7 प्रतिशत के बीच अंतर के बराबर ब्याज सबवेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, 250 जिलों में, सभी महिला स्व-सहायता समूह प्रति वर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर 3.0 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं, समय पर ऋण चुकाने पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन, प्रभावी ब्याज दर को घटाकर 4 प्रतिशत कर सकती है।

आजीविका संवर्धन: वित्तीय समावेशन के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के लिए ऋण की सुविधा के अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों के सदस्यों के लिए कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में विशिष्ट पहल की जा रही है।

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी)

आजीविका उपायों के अंतर्गत, महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना को 2011 में दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उप-घटक के रूप में शुरू किया गया था। महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं को उनकी भागीदारी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित निवेश करके सशक्त बनाना है, साथ ही ग्रामीण लोगों की आजीविका को भी स्थायी बनाना है। यह कार्यक्रम परियोजना के रूप में लागू किया गया है। उप-योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं-

- कृषि में महिलाओं की लाभकारी भागीदारी को बढ़ाना;
- कृषि में महिलाओं के लिए स्थायी कृषि आजीविका के अवसर पैदा करना;
- कृषि और गैर-कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि में महिलाओं के कौशल और क्षमताओं में सुधार करना;
- घरेलू और सामुदायिक स्तर पर खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- महिलाओं को सरकार और अन्य एजेंसियों के इनपुट और सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए सक्षम बनाना;
- जैव विविधता के बेहतर प्रबंधन के लिए कृषि में महिलाओं की प्रबंधन क्षमता को बढ़ाना।

जलवायु परिवर्तन से सामने आने वाली चुनौतियों के परिदृश्य में, महिला किसान सशक्तीकरण

परियोजना, स्थायी कृषि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह योजना सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के एक पूल के विकास में सहायक है। इससे सामुदायिक संस्थानों को उनकी गतिविधियों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाया जा सकता है। महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं (1) सतत कृषि (2) गैर-इमारती वन उत्पाद और (3) मूल्य श्रृंखला विकास। पशुधन से जुड़े कार्यकलाप सतत कृषि और गैर-इमारती वन उत्पाद परियोजनाओं दोनों के साथ एकीकृत हैं। इस के तहत अब तक लगभग 1.47 करोड़ महिला किसानों को लाया गया है।

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, किफायती और सामुदायिक निगरानी वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक उप-योजना है।

महिला किसानों को विभिन्न कृषि उपकरण उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) भी स्थापित किए जा रहे हैं। यह न केवल महिला किसानों के कठिन परिश्रम को कम करता है बल्कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपकरणों की आसान पहुंच सुनिश्चित करता है। अब तक 22,800 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं।

स्व-सहायता समूह परिवारों में कृषि पोषक उद्यानों की स्थापना एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि है जो इन समूहों के सदस्यों के लिए पूरे वर्ष पौष्टिक भोजन सुनिश्चित कर रही है। इसके अलावा, सदस्य इन उत्पादों की बिक्री के साथ अपने लिए अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम हैं। स्व-सहायता समूह परिवारों में अब तक 80.44 लाख कृषि पोषक उद्यान स्थापित किए जा चुके हैं।

कृषि-पारिस्थितिकी गतिविधियों से आजीविका को मजबूत करना तार्किक रूप से अगले चरण की ओर जाता है, अर्थात, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती। हालांकि, स्थानीय समूहों का गठन और जैविक प्रमाणीकरण एक लंबी अवधि में फैला हुआ है, इसके बावजूद अब तक 2,41,961 किसानों को जैविक प्रमाणीकरण के दायरे में लाया जा चुका है।

यह देखा गया है कि सामूहिक रूप से बाजारों का ठीक से लाभ उठाने के लिए बेहतर संसाधन हैं। तदनुसार, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय महिला स्वामित्व वाले उत्पादक समूह, यानी उत्पादक उद्यम/किसान उत्पादक संगठनों और उत्पादक समूहों को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार महिला सदस्यों को एकत्रीकरण, मूल्यवर्धन और विपणन जैसे उपायों के माध्यम से अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है। प्राथमिक उत्पादकों को उत्पादक संगठन बनाने से लेकर मार्केटिंग लिंकेज बनाने तक संपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए एक पूर्ण व्यवसाय मॉडल विकसित करने का विचार है।

मंत्रालय ने इसके अलावा, बड़े आकार के उत्पादक उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं के विकास में सहायता के वास्ते तकनीकी विशेषज्ञता का निर्माण करने के लिए, टाटा ट्रस्टों के समर्थन से एक सेक्शन 8 कंपनी 'फाउंडेशन फॉर डवेलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन' की स्थापना की है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की राज्य इकाइयों को बड़े आकार के उत्पादक उद्यमों को बढ़ावा देने के माध्यम से मूल्य श्रृंखला परियोजनाओं को विकसित और कार्यान्वित करने में सहायता करता है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक 3.86 लाख महिला सदस्यों वाले 183 उत्पादक उद्यमों और 14.06 लाख महिला सदस्यों वाले 1.22 लाख उत्पादक समूहों को सहायता प्रदान की गई है।

स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी)

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उप-योजना स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों की सहायता करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करती है। इसमें व्यापार सहायता सेवाएं, विशेषज्ञता, सीड कैपिटल, व्यापार तथा तकनीकी पहलुओं का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और विपणन सहायता प्रदान करने के लिए घटक शामिल हैं। स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम छोटे व्यवसायों की सहायता के लिए इन सेवाओं के साथ एक ब्लॉक को संतृप्त करता है। अब तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 1,86,576 उद्यमों को सहायता उपलब्ध कराई गई है।

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई)

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, किफायती और सामुदायिक निगरानी वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक उप-योजना है। वाहनों के स्वामी, स्व-सहायता समूहों के नेटवर्क के सदस्य होते हैं और वे ही इनका संचालन करते हैं। यह योजना, समूह के सदस्यों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के अलावा दूरदराज के गांवों को बाजारों, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच सहित सेवाओं और सुविधाओं से जोड़ती है। यह योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई थी और दिसंबर 2021 तक, 23 राज्यों में कुल 1811 वाहन चालू थे।

ई-मार्केटिंग

देश में ई-विपणन के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इसका लाभ स्व-सहायता समूहों के सदस्यों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जैम) पर एक विशेष उत्कृष्ट हस्तशिल्प संग्रह -सरस कलेक्शन को शामिल किया गया है। जैम और एनआरएलएम के बीच की यह अनूठी पहल ग्रामीण स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को प्रदर्शित करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों को सरकारी खरीदारों तक बाजार पहुंच प्रदान करना है।

कई राज्यों, जैसे, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, सिक्किम और केरल आदि ने भी अपने स्व सहायता समूहों के उत्पादों के ई-विपणन में कदम उठाए हैं। मंत्रालय अपना पोर्टल विकसित करने के लिए भी कदम उठा रहा है जहां देश भर के विभिन्न स्व -सहायता समूहों के उत्पादों को अपलोड किया जाएगा।

आजीविका संवर्धन के लिए साझेदारी/अभिसरण

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मानता है कि स्व-सहायता समूहों के सभी सदस्यों को लाभ देने के लिए भारी प्रयास की आवश्यकता है। तदनुसार, गरीबों की संस्थाओं के माध्यम से सीधे तालमेल विकसित करने के लिए इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के साथ अभिसरण पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है।

निम्नलिखित विभागों/मंत्रालयों और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच अभिसरण सुनिश्चित किया गया है -

- कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग
- पशुपालन, डेयरी विभाग (डीएएचडी) और मत्स्य पालन
- ट्राइफेड, जनजातीय कार्य मंत्रालय
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

इस वित्त वर्ष में छह महीने की छोटी अवधि में 256 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता के लिए कुल 86,000 लाभार्थियों को जुटाया गया है। वास्तव में, ग्रामीण विकास विभाग के ग्रामीण आजीविका मिशन ने विभिन्न मंत्रालयों को अपनी योजना के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए एक मजबूत मंच उपलब्ध कराया है।

कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया: स्व-सहायता समूहों के सदस्य देश के सामने आने वाले हर परिदृश्य में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। जैसे ही देश में कोविड-19 महामारी फैली, ये इन समूहों के नेटवर्क को ग्रामीण परिवारों में कोविड-19 निवारक उपायों और टीकाकरण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में शामिल किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान सहायक समुदायों में स्व-सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा किए गए योगदान की देश भर में काफी सराहना की गई है। उन्होंने 16,89,27,854 मास्क, 5,29,741 सुरक्षात्मक उपकरण, 5,13,059 लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन किया है। कोविड-19-प्रभावित समुदायों के सदस्यों और प्रवासियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1,22,682 सामुदायिक रसोई का प्रबंधन किया है। इसके अलावा, मानकीकृत मॉडल विकसित करके प्रशिक्षण के व्यापक पैटर्न का आयोजन किया गया था। तदनुसार, स्व-सहायता समूहों के 5.5 करोड़ से अधिक सदस्यों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए उचित व्यवहार और टीकाकरण को बढ़ावा देने में सहायता के लिए प्रेरित प्रशिक्षित किया गया था।

'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के रूप में भी मनाए जाने वाले भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में, भारत ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एनआरएलएम कार्यक्रम के माध्यम से कई कदम उठाए हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तदनुसार, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वे हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकें। ■